न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : राजेन्द्र सिंह चांदावत, आर0ए0एस0

खाद्य सुरक्षा परिवाद सं. 02/2024

प्रार्थी –
राजस्थान सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थीगण –
1. दमगिरी पुत्र चेतनगिरी जाति गोस्वामी निवासी मू.पो. रावतसर, जिला बाड़मेर (मैसर्स हितेश महादेव स्वीट होम, चामुण्डा चौराहा, बाड़मेर का विक्रेता)
2. कुम्भगिरी पुत्र चेतनगिरी जाति गोस्वामी निवासी मू.पो. रावतसर, जिला बाड़मेर (मैसर्स हितेश महादेव स्वीट होम, चामुण्डा चौराहा, बाड़मेर का मालिक)

परिवाद अन्तर्गत धारा 26(2)(ii) सहपठित धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006

उपस्थिति :–

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. अप्रार्थी संख्या 1 एवं 2 की ओर से अधिवक्ता अनुपस्थित।

आदेश

दिनांक : 10.02.2025

1. प्रार्थी की ओर से यह परिवाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा धारा 26 की उप धारा (2)(ii) के उल्लंघन के फलस्वरूप धारा 51 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अप्रार्थी संख्या 2 के प्रतिष्ठान **मैसर्स हितेश महादेव स्वीट होम, चामुण्डा चौराहा, बाड़मेर** पर निरीक्षण दिनांक **23.08.2023** को विक्रय हेतु रखा गया खाद्य पदार्थ **मिठाई (कलाकन्द)** जो कि एक थाल में लगभग 05 किलो पड़ा था, को मिलावट का होने के शक पर नियमानुसार **02 किलो मिठाई (कलाकन्द)** वास्ते नमूना क्रय किया जाकर नमूना संख्या **पी–2199** [illegible] इसकी जांच खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 [illegible] भरकर अप्रार्थी एवं गवाह व विक्रेता के हस्ताक्षर [illegible] गये। [illegible] खाद्य पदार्थ **मिठाई (कलाकन्द)** का नमूना वास्ते जांच [illegible] सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर द्वारा रिपोर्ट दिनांक **04.09.2023** में उक्त खाद्य पदार्थ **मिठाई (कलाकन्द)**

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Singh Chandawat
Date: 2025.06.20 10:46:19 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाडमेर

का नमूना को **असुरक्षित खाद्य (Unsafe food)** पाये जाने पर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस सूचना दी गई, जिस पर अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नमूना की जांच निर्दिष्ट प्रयोगशाला से कराये जाने का निवेदन किया गया। इस पर उक्त नमूना जांच हेतु निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला मैसुर को भिजवाया गया जिसमें जांच उपरान्त रिपोर्ट दिनांक **30.11.2023** में उक्त नमूना **अवमानक (Substandard)** स्तर का पाया गया है। इस पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत कर अप्रार्थी को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माना से दण्डित करने का निवेदन किया है।

2. अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 एवं 2 के अधिवक्ता अनुपस्थित।

3. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिवाद का अवलोकन किया एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा कारित अपराध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जुर्माना से दण्डनीय है तथा खाद्य पदार्थों से सम्बन्धित सुरक्षा मानकों के प्रति उदासीनता मानव स्वास्थ्य के प्रति गम्भीर अपराध की श्रेणी में माना गया है। अप्रार्थी संख्या 2 के प्रतिष्ठान से लिये गये खाद्य पदार्थ के नमूना की निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला मैसुर से प्राप्त नमूना जांच रिपोर्ट दिनांक **30.11.2023** में उक्त नमूना **अवमानक (Substandard)** स्तर का पाया गया है। जांच रिपोर्ट के अनुसार **BR of extracted fat at 40^0 C** जिसका मानक स्तर 40.0—44 के मुकाबले 47.08 तथा Reichert value of extracted fat not less than 24.0 के मुकाबले 13.74 पाया गया है, जो कि मानक स्तर का नहीं है। इस पर पदाभिहित अधिकारी द्वारा अप्रार्थीगण को धारा 46 की उप–धारा 4 के अधीन नोटिस जारी किया गया किन्तु अप्रार्थीगण द्वारा कोई जवाब एतराज प्रस्तुत नहीं किया गया। इस पर प्रार्थी की ओर से यह परिवाद प्रस्तुत होने पर जरिये नोटिस जवाब हेतु अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा अपने प्रतिरक्षण में किसी प्रकार का ठोस एवं तथ्यात्मक जवाब नहीं दिया है जो उनके द्वारा कारित अपराध की मौन जुर्म स्वीकारोक्ति है। अप्रार्थीगण जो खाद्य पदार्थ अपने प्रतिष्ठान में रखकर ग्राहकों को विक्रय किया जा रहा है तो उसकी गुणवता के लिए उसका उत्तरदायित्व खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अन्तर्गत अप्रार्थीगण का है। लिहाजा अप्रार्थीगण के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत [illegible] है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajendra Singh Chandawat
Date: 2025.06.20 10:46:19 IST
Reason: SelfAttested

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के विवेचन उपरान्त अप्रार्थीगण के विरूद्ध अपराध धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण पर संयुक्त रूप से रूपये 20,000/– का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। अप्रार्थीगण उक्त जुर्माना राशि का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम पेश करें, जो पेश होने पर सम्बन्धित

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

अधिकारी को राजकोष मे जमा करवाने हेतु भिजवाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

5. आदेश आज दिनांक 10.02.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(राजेन्द्र सिंह चांदावत)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

न्यायालय अपर कलक्टर
सत्यमेव जयते
बाड़मेर (राजस्थान)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajendra Singh Chandawat
Date: 2025.06.20 10:46:19 IST
Reason: SelfAttested